समलैगिक विवाह एक अभिशाप या वरदानः विधिक सामाजिक अध्ययन

*डॉ. दीपाली भार्गव

शोध सारांश

आधुनिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेष में विवाह जैसी संस्था को भारत देश में न्यायालय ने अपने एक आदेश में चुनौती दी है और सामाजिक मापदंडों के अस्तित्व को नकार दिया है। प्रकृति द्वारा दी गई लिंग भेद की व्यवस्वथा को समाप्त सा कर दिया है। और आने वाले समय में इसके परिणाम आसानी से देखे जा सकेगें।

समलैंगिकता का अर्थ किसी व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और रोमांसपूर्वक रूप से आकर्षित होना है। पुरुष, जो अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित होते है उन्हें "पुरुष समलिंगी" या गे और जो महिला किसी अन्य महिला के प्रति आकर्षित होती है उसे भी गे कहा जा सकता है लेकिन उसे आमतौर पर "महिला समलिंगी" या लैस्बियन कहा जा है। जो जो लोग महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकषित होते हैं उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। कुल मिलाकर समलैंगिक, उभयलैंगिक और लिंगपरिवर्तित लोगो को मिलाकर एल जी बी टी (अंग्रेजी; LGBT) समुदाय बनता है। यह कहना कठिन है कि कितने लोग समलैगिक हैं। समलैगिकता का अस्तित्व सभी संस्कतियों और देशों में पया गया है, यद्यपि कुछ देशों की सरकारें इस बात का खंडन करती है।

देश में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब दूसरे चरण में गे मैरिक, समलैगिकों के लिए बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकारी चुनने का हक दिलाने की मांग उठेगी।

हालांकि ये मांगे सिर्फ कानून के जरिए ही पूरी हो सकती है। विधायिका कानून बनाकर इन मोंगों को पूरा कर सकती है लेकिन वर्तमान हालात में ऐसा होगा, ये कह पाना मुश्किल है। लोकतंत्र में नेताओं के बहुसंख्य आबादी की सोच का ख्याल रखना पड़ता है। भारतीय समाज में ज्यादातर संकीर्ण सोच के लोग हैं और इस तरह की मांग के बेहद खिलाफ हैं।

कोई भी नेता इस मसले में खुलकर समर्थन करने के लिए आगे नही आएगा, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसी मांगों का समर्थन करने पर वो चुनाव हार सकते हैं। यहां तक की भारत में बहुत से लोग गे सेक्स के भी खिलाफ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 14 ने (समानता का अधिकार) और आर्टीकल 21 (जीने और स्वतंत्रता के अधिकार) की मदद से सेक्शन 377 को काफी हद तक खत्म कर दिया है।

लेकिन गे मैरिज, समलैंगिकों के लिए गोद लेने और वसीयत में उनको जगह दिए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट किसी प्रावधान को कमजोर कर पूरी नहीं कर सकता, इसके लिए विधायका के जरिए कानून बनाना होगा।

मौजूदा समय में भारत में विवाह धार्मिक समुदायों पर बने पर्सनल लॉ के आधार पर होते हैं, इसमें एक पुरुष और महिला के बीच विवाह की परिकल्पना की जाती है। हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5(पपप) में हिन्दूम बिवाह को लेकर शर्तें रखी गई है।, जिसके मुताबिक, दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसमें 'वर' और 'वधू' शब्द का मतलब है, कि ऐसे विवाह हेट्रेसेक्सुएल मैरिज है, जिन्हें कानूनन मान्यता मिलती है।

सेक्शन 5 हिन्दुओं, बौद्ध, जैन, सिख समेत हिन्दू धर्म की दूसरी शाखाएं वीरशवा, लिंगायत, ब्रह्मा के अनुयायियों, कार्य समाज से जुडे लोगों पर लागू होता है। इसमें आपतौर पर ये भी कहा गया है कि दो हिन्दुओं के बीच शादी तभी सम्पन्न हो सकती है जब उसके अंतर्गत आने वाली शर्तें पूरी हैं। मुस्लिम लॉ भी ललग सेक्स के लोगों की शादी को अनुमति देता है, यहां तक इंटर रीलिजियस मैरिज (सिविल मैरिज) भी, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के

दायरे में आते हैं, इसमें विवाह दो अलग–अलग सेक्स के बीच हो सकता है।

ऐसे में कानून में बदलाव के बिना गे मैरिज कैसे हो सकती हैक? और कानून में बदलाव करने का काम विधायिका का है न्यायपालिका का नहीं। हिन्दुओं में उत्तराधिकारी चुनना हिन्दू सेक्शन एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है। इसके सेक्शन 8 में कहा गया है कि पति की मौत के बाद (अगर वसीयत न लिखी गई हो) उसकी संपर पत्नी का हक होता है। ऐसे ही सेक्शन 15 में पत्नी की मौत के बाद उसकी संम्पत्ति पर पति का हक होता है। इसमें 'विधवा' और 'पति' शब्द का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि विवाह एक पुरुष का महिला से हुआ है। ये सेम सेक्स रिलेशनशिप नहीं है।

सहीं बात अगर गोद लेने की की जाए हिन्दुओं और मुस्लिमों में तभी गोद लिया जा सकता है जब उनकी शादी हो चुकी हो और इसमें पति या पत्नी में से कोई एक ही किसी बच्चे को गोद ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के लिए गे सेक्स को वैध करार देना इसलिए भी आसान था, क्यों कि उसमें बदलाव सिर्फ सेक्शन 377 में ही करना था, लेकिन वो ऐसा क्या करेंगे कि गे मैरिज समलैंगिकों के लिए गोद लेने ओर उन्हें उत्तराधिकारी चुनने के हक को कानूनी वैधता मिल पाए?

2016 में मशहूर Obergefell v. Hodges सिविल सिविल राइट केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स में गै मैरिज को वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो कि हेट्रोसेक्सुएल मैरिज में किसी को मिलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना बड़ा फैसला सुना सकता है। अमेरिका में लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन भारत में लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।

साथ ही अमेरिका में कैलिफोर्निया जैसे कुछ राज्य पहले ही गे मैरिज को वैद्य करार देश चुके थे ऐसे में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहना आसान हो गया था कि अगर गे मैरिज को अन्य स्टेट्स में वैद्य करार नहीं गया तो इससे अमेरिकी संविधान में समानता के प्रावधान का उल्लंघन होगा। वहीं भारत के किसी भी रज्य में गे मैरिज की अनुमति नहीं है। इसलिए व्हमतहममिसस अण भ्वकहमे सिविल राइट केस का भारत पर कोई असर पडेगा, ये कना मुश्किल होगा।

सारांश

उपरोक्त अध्ययन से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि समलैगिंक विवाह की वैद्यता को बनाये रखने से समाज जैसी संस्था समाप्त प्रायः सी हो जाएगी और भविष्य में पक्षकारों के मध्य सम्पत्ति उत्तराधिकार एवं अन्य प्रकार की वैद्यानिक समस्याओं का सामना करना पडेगा। विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग ने प्रकृती और ईश्वर द्वारा दी गई लिंग भेद की व्यवस्था को समाप्त सा कर दिया है लेकिन इससे भविष्य में और अधिक कठिनईयां उत्पन्न होने की आशंका है। भारत देश में विदेशों के अनुसार नकल करने की कोशिश तो की है लेकिन भारत की भौगोलिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का माननीय उच्चतम न्यायालय ने गहनता से अध्ययन नहीं किया है।

***Associate Professor (Sociology)**
Department of College Education
Jaipur (Raj)

सन्दर्भ सूची

1. जस्टिस मार्कंडेय काटजू का लेख
2. सामाजिक विधिक अध्याय पर प्रकाशित लेख
3. श्री राम शर्मा की विवाह पर पुस्तक
4. हिन्दु विवाह अधिनियम 1955,